

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009-10/2364) जयपुर, दिनांक 08.01.2010

जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा।

विषय :- अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग:- आपका पत्रांक सहायता/अकाल-2066/2009-10/84694 दिनांक 18.12.09

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जनवरी, 2010 हेतु निम्नानुसार चारा डिपो खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।


क्र.सं.	नाम जिला	चारा डिपो की संख्या
1.	भीलवाड़ा	250

नोट:- उक्त संख्या पूर्व में (जनवरी, 2010 तक) स्वीकृत चारा डिपो की संख्या को शामिल करते हुए है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


इसके अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चारा डिपो का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्रीगण
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी सचिव
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलेक्टर से प्राप्त मांग के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण राशि 50000/- प्रति डिपो की दर से अविलम्ब आवंटन कराये जाने की व्यवस्था करें।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव